पुलिस संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिये मध्य प्रदेश को दी गई सहायता

263. **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुलिस संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश को क्या सहायता दी गई है:

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए और अधिक सहायता मांगी गई है ; यदि हां, तो यह सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ; और

(ग) अन्य राज्यों को दी जा रही इस प्रकार की सहायता के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) और (ख) "पुलिस" विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सम्मिलित है । पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेवार होती हैं । तथापि, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अपने प्रयासों को तीव्र कर रही है।

चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के पास आवश्यकतानुसार 93.43 लाख रुपये इस वर्ष कार्य हेतु उपलब्ध हैं, तथा इस राशि को उनके अनुरोध पर पुनः वैद्यता प्रदान कर दी गई है।

(ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को गतिशीलता, संचार, जांच-पड़ताल हेतु वैज्ञानिक उपकरणों, संगणकीकरण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को सुधारने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना

264. **श्री अजीत जोगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज पर आयात शुल्क को घटाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) फिलहाल, अखबारी कागज पर आयात शुल्क कम करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) छोटे और मझौले अखबारों को अनेक रियायतें सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट152, अनुपत्र संख्या 10]

Inter-State Councils

265. SHRI SUKOMAL SEN:
PROF. C. LAKSHMANNA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to form Inter-StateCouncil under Article 263 of the Constitution of India; and

(b) if so, what are the details thereof?